Integrated Iron & Steel Standards.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2012

G.S.R. 277(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) (Third Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I,-

(a) (i) serial number 12 relating to "Coke Ovens" and entries relating thereto shall be omitted;

(ii) for serial number 24 relating to "Iron and Steel (Integrated)" and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S. No.	Industry	Parameter	Standard		
(1)	(2)	(3)	(4)		
"24.	Integrated Iron and Steel Plant	**A.- Coke oven (by- product type)**			
		a. Effluent Standards			
			Limiting concentration in mg/l, except for pH		
		pH	6.0-8.50		
		Suspended solids	100		
		BOD, 3 days at 27°C	30		
		COD	250		
		Oil and grease	10		
		Ammonical nitrogen, as N	50		
		Cyanide (as CN^-)	0.2		
		Phenol	1.0		
		b. Emission Standards			
			New Batteries (at green field site)	Rebuild Batteries	Existing Batteries
		(i) Fugitive Visible Emissions			

(1)	(2)	(3)	(4)		
		Leakage from door	5(PLD)*	10(PLD)*	10(PLD)*
		Leakage from charging lids	1(PLL)**	1(PLL)**	1(PLL)**
		Leakage from AP Covers	4(PLO)†	4(PLO)†	4(PLO)†
		Charging emission (Second/ charge)	16(with HPLA)#	50(with HPLA)#	75
		***PLD- Percent leaking doors; **PLL- Percent leaking lids;**			
		†PLO- Percent Leaking off takes and #HPLA – Aspiration through high pressure liquor injection in gooseneck.			
		(ii) Stack Emission Standards			
		SO_2 (mg/ Nm^3)	800	800	800
		NOx (mg/ Nm^3)	500	500	500
		Particulate matter (mg/Nm^3)	50	50	50
		Particulate matter during charging of stamp charging batteries(mg/Nm^3)	25	25	25
		Sulphur in Coke Oven gas used for heating (mg/Nm^3)	800	-	-
		(iii) Fugitive Emissions: Benzo (a) Pyrene (BaP)			
		Battery area (top of the battery) (µg/ m^3)	5	5	5
		Other units in coke oven plant (µg/ m^3)	2	2	2
		B.- Sintering Plant			
		a. Effluent Standards			
			Limiting concentration in mg/l, except for pH		
		pH	6.0- 8.50		
		Suspended solids	100		
		Oil and grease	10		
		b. Emission Standards			
		Particulate matter (mg/Nm^3)	150		
		C.- Blast Furnace			
		a. Effluent Standards			
			Limiting concentration in mg/l, except for pH		
		pH	6.0- 8.5		
		Suspended solids (mg/l)	50		
		Oil and grease (mg/l)	10		
		Cyanide as CN^-(mg/l)	0.2		
		Ammonical Nitrogen,	50		

(1)	(2)	(3)	(4)	
		as NH_3–N (mg/l)		
		b. Emission Standards		
		(i) Stack Emissions		
			Existing Units	New Units
		BF Stove		
		Particulate matter (mg/Nm^3)	50	30
		SO_2 (mg/Nm^3)	250	200
		NO_x (mg/Nm^3)	150	150
		CO (vol/vol)	1% (max.)	1% (max.)
		(ii) Space Dedusting / Other stacks of BF area		
		Particulate matter (mg/Nm^3)	100	50
		(iii) Fugitive Emission		
			Existing Units	New Units
		Particulate matter (Size less than 10 microns) PM_{10}(µg/m^3)	4000	3000
		SO_2 (µg / m^3)	200	150
		NO_x (µg / m^3)	150	120
		Carbon monoxide (µg / m^3) - 8 hours	5000	5000
		1 hours	10,000	10,000
		Lead, as Pb in fugitive dust (µg / m^3) at Cast House	2	2
		D.- Steel Making Shop- Basic Oxygen Furnace		
		a. Effluent Standards		
		pH (mg/l)	6.0- 8.5	
		Suspended solids (mg/l)	100	
		Oil and grease (mg/l)	10	
		(i) Stack Emissions		
			Existing Units	New Units
		• Converters		
		Particulate matter (mg/Nm^3)		
		— Blowing/ Lancing operation	300	Should be with gas recovery
		— Normal operation	150	Should be with gas recovery
		•• Secondary Emission Stack : De-dusting of de-sulphurisation, Secondary refining etc.		
		Particulate matter (mg/Nm^3)	100	50

1198 GI/12-3

(1)	(2)	(3)	(4)	
			(ii) Fugitive Emissions	
			Existing Units	New Units
		Particulate matter (size less than 10 microns) PM_{10} (µg/m^3)	4000	3000
		SO_2 (µg / m^3)	200	150
		NO_x (µg / m^3)	150	150
		CO (µg / m^3) - 8 hours	5,000	5,000
		1 hours	10,000	10,000
		Lead, as Pb in dust at Converter floor (µg / m^3)	2	2
			E.- Rolling Mills	
			a. Effluent Standards	
		pH	6.0-9.0	
		Suspended solids (mg/l)	100	
		Oil and grease (mg/l)	10	
			b. Emission Standards	
		Particulate matter (mg/Nm^3)	150	
			Re- Heating (Reverberatory) Furnaces	
			Sensitive area	Other area
		Particulate matter (mg/Nm^3)	150	250
			F.- Arc Furnaces	
			Emission Standards	
		Particulate matter (mg/Nm^3)	150	
			G.- Induction Furnaces	
			Emission Standards	
		Particulate matter (mg/Nm^3)	150	
			H.- Cupola Foundary	
			Emission Standards	
			melting capacity less than 3 tonne/hr	melting capacity 3 tonne/hr and above
		Particulate matter (mg/Nm^3)	450	150
		SO_2 (mg/Nm^3)	300, corrected at 12% CO_2	
			I.- Calcination Plant/ Lime Kiln/Dolomite Kiln	
			Emission Standards	
			capacity upto 40t/day	capacity above 40t/day

(1)	(2)	(3)	(4)	
		Particulate matter (mg/Nm^3)	500	150
		J.- Refractory Unit		
		Emission Standards		
		Particulate matter (mg/Nm^3)	150	
		Note: 1. The height of the each process stack shall be a minimum of 30 metres or as per the formula H = 14 (Q) $^{0.3}$ (whichever is more), *where "H" is the height of stack in metre; and "Q" is the maximum quantity of SO_2 in kg/hr expected to be emitted through the stack at rated capacity of the plant(s) and calculated as per the norms of gaseous emission.* 2. The plants having separate stack for gaseous emission for the scrubbing unit, the height of this stack shall be equal to main stack of the plant or 30 metres, whichever is higher. 3. It is essential that stack constructed over the cupola beyond the charging door and emissions shall be directed through the stack which should be at least six times the diameter of cupola. 4. In respect of Arc Furnaces and Induction Furnaces provision shall be made for collecting the fumes before discharging the emissions through the stack. 5. Foundries shall install scrubber, followed by a stack of height atleast six times the diameter of the Cupola beyond the charging door. 6. Recovery type converters shall be installed in new plants or expansion projects.		
		Stormwater		
		Note: (i) Stormwater shall not be allowed to mix with effluent, scrubber water and/ or floor washings. (ii) Stormwater shall be channellized through separate drains as per natural gradient, passing through High Density Polyethylene (HDPE) lined pits, each having holding capacity of 10 minutes (hourly average) of rainfall.".		

(iii) serial number 30 relating to "Integrated Iron and Steel Plants" and the entries relating there to shall be omitted;

(iv) serial number 79 relating to "Coke Oven Plants" and the entries relating there to shall be omitted.

(b) In Schedule VI, General Emission Standards Part D, III, Load/ Mass based standards, for serial number 5, Coke Oven and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"5	Integrated Iron and Steel Plant	Carbon Monoxide in coke oven	3 Kg/ tonne of coke produced
		Particulate matter during coke pushing in coke oven	5 gramme/ tonne of coke produced
		Particulate matter for quenching operation in Coke Oven	50 gramme/ tonne of coke produced .".

[F. No. Q-15017/60/2007-CPW]
RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note :- The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844 (E), 19th November, 1986; and subsequently amended vide notifications numbers S.O. 433 (E), dated 18th April 1987; G.S.R. 97 (E),dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149 (E), dated the 4th March , 2009; G.S.R. 512 (E), dated the 9th July, 2009;G.S.R. 543 (E), dated the 22nd July, 2009; G.S.R. 595 (E), dated the 21st August, 2009; G.S.R. 794 (E), dated the 4th November, 2009; G.S.R. 826 (E), dated the 16th November, 2009; G.S.R. 01 (E), dated the 1st January, 2010; G.S.R, 61 (E), dated 5th February, 2010; G.S.R. 485 (E), dated 9th June, 2010; G.S.R. 608 (E) ,dated 21st July, 2010 ; G.S.R. 739 (E), dated the 9th September, 2010 ; and G.S.R. 809(E), dated, 4th October, 2010, G.S.R. 215 (E), dated, the 15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated, the 18th March, 2011; G.S.R. 354 (E), dated, the 2nd May , 2011; G.S.R. 424 (E), dated, the 1st June, 2011; G.S.R. 446 (E),13th June, 2011; G.S.R. 152 (E), dated, 16th March, 2012; and G.S.R. --266--(E), dated, ---30th--- March, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 2012/चैत्र 11, 1934

No. 155] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 2012/CHAITRA 11, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2012

सा.का.नि. 277(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) (तृतीय संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की, अनुसूची I में, -

(क) (i) क्रम संख्या 12, कोक ऑवन से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 24, लौह व इस्पात(एकीकृत) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

क्र.सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
"24.	एकीकृत लौह व इस्पात संयंत्र	**अ.- कोक ऑवन (सह- उत्पाद प्रकार)**	
		क. बहिस्राव मानक	
			सान्द्रण सीमा मि.ग्रा. ./लीटर में, pH को छोड़कर
		pH	6.0-8.50
		निलंबित कण	100

(1)	(2)	(3)	(4)		
		BOD, 27^0 सैंटीग्रेड पर 3 दिन	30		
		COD	250		
		तेल एवं ग्रीस	10		
		अमोनिकल नाइट्रोजन, N के रूप में	50		
		साइनाइड (CN^- के रूप में)	0.2		
		फिनॉल	1.0		
		ख. उत्सर्जन मानक			
			नई बैट्रियां (शुचित क्षेत्र स्थल में)	पुनः निर्मित बैट्रियां	विद्यमान बैट्रियां
		(i) प्लावक दृश्य उत्सर्जन			
		दरवाजे से रिसाव	5(PLD)*	10(PLD)*	10(PLD)*
		भराई ढक्कनों से रिसाव	1(PLL)**	1(PLL)**	1(PLL)**
		ए.पी. ढक्कनों से रिसाव	4(PLO)†	4(PLO)†	4(PLO)†
		भराई के समय उत्सर्जन (द्वितीय)	16(HPLA के साथ)#	50(HPLA के साथ)#	75
		***PLD- रिसाव वाले दरवाजों का प्रतिशत; **PLL- रिसाव वाले ढक्कनों का प्रतिशत;**			
		†PLO- रिसाव ऑफटेक प्रतिशत में और #HPLA – गूज़नेक में उच्च दाब पर तरल अंतः क्षेपक के समय अपेक्षा			
		(ii) स्टैक उत्सर्जन मानक			
		SO_2(मि.ग्रा./नॉर्मल घनमीटर)	800	800	800
		NOx (मि.ग्रा. /नॉर्मल घनमीटर)	500	500	500
		विविक्त पदार्थ (मि.ग्रा./नॉर्मल घनमीटर)	50	50	50
		स्टैम्प चार्जिंग बैट्री भराई करने के दौरान विविक्त पदार्थ(मि.ग्रा./नॉर्मल घनमीटर)	25	25	25
		गंधक(मि.ग्रा./नॉर्मल घनमीटर) गर्म करने के लिए उपयोग किये जा रहे कोक ऑवन गैस में	800	-	-
		(iii) प्लावक उत्सर्जन: बैन्जो -ए- पाईरीन *(BaP)*			
		बैट्री क्षेत्र (बैट्री के ऊपरी भाग पर) (माईक्रोग्राम/ घनमीटर)	5	5	5
		कोक ऑवन प्लांट की अन्य इकाईयां (माईक्रोग्राम / घनमीटर)	2	2	2
		आ.- निसादीय संयंत्र			
		क. बहिस्राव मानक			
			सान्द्रण सीमा मि.ग्रा. ./लीटर में, pH को छोड़कर		
		pH	6.0- 8.50		
		निलम्बित ठोस कण	100		
		तेल एवं ग्रीस	10		

(1)	(2)	(3)	(4)	
		ख. उत्सर्जन मानक		
		विविक्त पदार्थ (मि.ग्रा./नॉर्मल घनमीटर)	150	
		इ.- ब्लास्ट फरनेस		
		क. बहिस्राव मानक		
		pH	6.0- 8.5	
		निलम्बित ठोस कण(मि.ग्रा./ली)	50	
		तेल एवं ग्रीस(मि.ग्रा./ली)	10	
		साइनाइड (CN^- के रूप में) (मि.ग्रा./ली)	0.2	
		अमोनिकल नाइट्रोजन, NH_3-N के रूप में (मि.ग्रा./ली)	50	
		ख. उत्सर्जन मानक		
		(i) चिमनी के द्वारा उत्सर्जन		
			विद्यमान इकाईयां	नई इकाईयां
		ब्लास्ट फर्नेस स्टोव		
		विविक्त पदार्थ (मि.ग्रा. /नॉर्मल.घन.मीटर)	50	30
		SO_2 (मि.ग्रा./नॉर्मल घनमीटर)	250	200
		NO_x (मि.ग्रा./नॉर्मल घनमीटर)	150	150
		CO (घनत्व/मात्रा)	1% (अधि.)	1% (अधि.)
		(ii) कार्यक्षेत्र में धूल/ब्लास्ट फर्नेस क्षेत्र की अन्य चिमनियां		
		विविक्त पदार्थ (मि.ग्रा. /नॉर्मल घनमीटर)	100	50
		(iii) प्लावक उत्सर्जन		
			विद्यमान इकाईयां	नई इकाईयां
		विविक्त पदार्थ (10 माईक्रोन से कम आकार) PM_{10}(माईक्रोग्राम / घनमीटर)	4000	3000
		SO_2 (माईक्रोग्राम/ घनमीटर)	200	150
		NO_x (माईक्रोग्राम/ घनमीटर)	150	120
		कार्बन मोनोक्साइड(माईक्रोग्राम/ घनमीटर) - 8 घंटे	5000	5000
		- 1 घंटे	10,000	10,000
		सीसा, प्लावक धूल में Pb के रूप में (माईक्रोग्राम / घनमीटर), ढलाई घर में	2	2
		ई.- स्टील निर्माण शॉप- आधारभूत ऑक्सीजन भट्टी		
		क. बहिस्राव मानक		
		pH	6.0- 8.5	
		निलम्बित ठोस कण(मि.ग्रा./ली)	100	
		तेल एवं ग्रीस(मि.ग्रा./ली)	10	

(1)	(2)	(3)	(4)	
		(i) चिमनी के द्वारा उत्सर्जन		
			विद्यमान इकाईयां	नई इकाईयां
		• परिवर्तक		
		विविक्त पदार्थ (मि.ग्रा./नॉर्मल घनमीटर)		
		- फूंकना/ चीराई प्रचालन	300	गैस प्रतिप्राप्ति के साथ होना चाहिए
		- सामान्य प्रचालन	150	गैस प्रतिप्राप्ति के साथ होना चाहिए
		•• माध्यमिक उत्सर्जन चिमनी : डि-सल्फ्यूरिसेशन की धूल झड़ाई, माध्यमिक परिशोधन, आदि		
		विविक्त पदार्थ (मि.ग्रा. /नॉर्मल घनमीटर)	100	50
		(ii) प्लावक उत्सर्जन		
			विद्यमान इकाईयां	नई इकाईयां
		विविक्त पदार्थ (10 माईक्रोन से कम आकार) PM_{10}(माईक्रोग्राम/ घनमीटर)	4000	3000
		SO_2 (माईक्रोग्राम/ घनमीटर)	200	150
		NO_x (माईक्रोग्राम/ घनमीटर)	150	150
		CO(माईक्रोग्राम/ घनमीटर)		
		- 8 घंटे	5,000	5,000
		- 1 घंटे	10,000	10,000
		सीसा, Pb के रूप में(माईक्रोग्राम/ घनमीटर) परिवर्तक तल पर धूल में	2	2
		ड. - रोलिंग मिल		
		क. बहिस्राव मानक		
		pH	6.0-9.0	
		निलम्बित ठोस कण(मि.ग्रा./ली)	100	
		तेल एवं ग्रीस (मि.ग्रा./ली)	10	
		ख. उत्सर्जन मानक		
		विविक्त पदार्थ (मि.ग्रा./नॉर्मल घनमीटर)	150	
		पुनः ताप (रिवरबरेट्री) भट्टी		
			संवेदनशील क्षेत्र	अन्य क्षेत्र
		विविक्त पदार्थ (मि.ग्रा./नॉर्मल घनमीटर)	150	250

(1)	(2)	(3)	(4)	
		ए.- आर्क फर्नेस		
		उत्सर्जन मानक		
		विविक्त पदार्थ (मि.ग्रा./नॉर्मल घनमीटर)	150	
		ऐ.- इंडक्शन फर्नेस		
		उत्सर्जन मानक		
		विविक्त पदार्थ (मि.ग्रा. /नॉर्मल घनमीटर)	150	
		ओ.- क्यूपला फाउन्ड्री		
		उत्सर्जन मानक		
			3 टन/घंटा से कम की प्रगलन क्षमता	3 टन/घंटा और इससे अधिक की प्रगलन क्षमता
		विविक्त पदार्थ (मि.ग्रा./नॉर्मल घनमीटर)	450	150
		SO_2 (मि.ग्रा. /नॉर्मल घनमीटर)	300, 12% CO_2 पर	
		औ.- कैल्सीनेशन संयंत्र/ चूना भट्टी/डोलोमाइट भट्टी		
		उत्सर्जन मानक		
			40टन/दिन तक की क्षमता	40टन/दिन से अधिक की क्षमता
		विविक्त पदार्थ (मि.ग्रा./नॉर्मल घनमीटर)	500	150
		(3)	(4)	
		अं.- उच्चतापसह इकाई		
		उत्सर्जन मानक		
		विविक्त पदार्थ (मि.ग्रा./नॉर्मल घनमीटर)	150	

टिप्पणी:

1. प्रत्येक प्रक्रिया स्टैक की न्यूनतम ऊंचाई 30 मीटर या $H = 14 (Q)^{0.3}$ सूत्र के अनुरूप, जो भी अधिक हो, होनी चाहिए । *"H"* का अर्थ चिमनी की ऊंचाई मीटरों में, और *"Q"* का अर्थ गैसीय उत्सर्जन कि.ग्रा/घंटे में मानक के अनुरूप परिकलित और संयंत्र की स्थापित क्षमता पर चिमनी के माध्यम से उत्सर्जित होने वाले SO_2 की संभावित अधिकतम मात्रा है।
2. स्क्रबिंग इकाई के गैसीय उत्सर्जन हेतु संयंत्र की पृथक चिमनी होने पर इस चिमनी की ऊंचाई संयंत्र की मुख्य चिमनी की ऊंचाई के बराबर या 30 मीटर, जो भी अधिक हो, होगी।
3. क्यूपला इकाई में गैस उत्सर्जन के लिए चिमनी की लंबाई कम से कम क्यूपला के व्यास के छः गुणा, इसके भराई दरवाजे के ऊपर होना आवश्यक है।
4. आर्क फर्नेस और इंडक्शन फर्नेस के संदर्भ में उत्सर्जनों को चिमनी के माध्यम से उत्सर्जित किये जाने से पहले धुंऐ को एकत्रित किये जाने का प्रावधान किया जाएगा।

98 4/12-2.

(1)	(2)	(3)	(4)
		5. फाउन्ड्री में स्क्रबर स्थापित किया जाएगा तथा इसमें चिमनी की ऊंचाई कम से कम, इसके भराई दरवाजे के ऊपर, इस क्यूपला के व्यास के छः गुणा होना आवश्यक होगी। 6. नएं संयंत्रों और विस्तार परियोजनाओं में प्रति प्राप्ति प्रकार के परिवर्तक स्थापित किये जाएंगे।	
		वर्षाजल टिप्पणी: (i) किसी इकाई के वर्षा जल को बहिस्राव, मार्जक जल और/अथवा तलधुलाई अपजल के साथ मिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। (ii) इकाई की अंतसीमा के वर्षा जल को वर्षा के 10 मिनट की संग्रहण क्षमता (घंटे के औसत) के उच्च घनत्व पोलीइथलीन (एचडीपीई) परत वाले गर्त के माध्यम से अलग नाली के द्वारा बहाया जाएगा।"।	

(iii) क्रम संख्या 30, एकीकृत लौह व इस्पात संयंत्र से सम्बन्धित विद्यमान प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा; और

(iv) क्रम संख्या 79, कोक आंवन संयंत्र से सम्बन्धित विद्यमान प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा।

(ख) अनुसूची VI, में सामान्य उत्सर्जन मानक भाग घ, III, भार/ समूह आधारित मानक, क्रम संख्या 5, कोक ऑवन इनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"5	एकीकृत लौह व इस्पात संयंत्र	**कोक ऑवन में कार्बन मोनोऑक्साइड**	**3 कि.ग्रा./टन उत्पादित कोयला**
		कोक ऑवन में कोयला डालते समय विविक्त पदार्थ	**5 ग्रा./टन उत्पादित कोयला**
		कोक ऑवन में आग बुझाने के दौरान विविक्त पदार्थ	**50 ग्रा./टन उत्पादित कोयला ।"।**

[फा. सं. क्यू-15017/60/2009-सीपी]

रजनीश दुबे, संयुक्त

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 844(अ) दिनांक 19 नवम्बर, 1986 के द्वारा प्रकाशित किये गए थे और पश्चात सं. का.आ.433 (अ), तारीख 18 अप्रैल 1987, सा.का.नि. 97(अ) तारीख 18 फरवरी 2009: सा.का.नि. 1 तारीख 4 मार्च 2009: सा.का.नि. 512(अ) तारीख 9 जुलाई 2009: सा.का.नि. 543(अ) तारीख 22 जुलाई सा.का.नि. 595(अ) तारीख 21 अगस्त 2009: सा.का.नि. 794(अ) तारीख 4 नवम्बर 2009: सा.का.नि. 826(अ) 16 नवम्बर 2009: सा.का.नि. 01(अ) तारीख 1 जनवरी 2010: सा.का.नि. 61(अ) तारीख 5 फरवरी 2010: सा. 485(अ) तारीख 9 जून 2010: सा.का.नि. 608(अ) तारीख 21 जुलाई 2010: सा.का.नि. 739(अ) तारीख 9 सितम्बर और सा.का.नि. 809(अ) तारीख 4 अक्टूबर 2010: सा.का.नि. 215(अ) तारीख 15 मार्च, 2011: सा.का.नि. 221(अ), 18 मार्च, 2011: सा.का.नि. 354(अ) तारीख, 02 मई, 2011: सा.का.नि. 424(अ), तारीख, 01 जून, 2011: सा. 446(अ), 13 जून, 2011 और सा.का.नि.152 (अ), 16 मार्च, 2012 और सा.का.नि.- 266(अ) (अ), 30 मार्च,2012 के द्वारा संशोधित किए गए।